रा ब सं
जनसेवा में 50 वर्षों से अधिक
NSI
Over 50 Years in Service of People

मासिक प्रकाशन
Monthly Publication

अगस्त 2006 (अंक 160)
August 2006 (Issue 160)

राष्ट्रीय बचत संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र चंडीगढ़ द्वारा 3-4 अगस्त 2006 को डलहौजी में पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों के लिये आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्घाटन अवसर पर श्री सी.एस. तलवार, आई.ए.एस, निदेशक अल्प बचत, पंजाब सरकार प्रशिक्षणार्थी को संबोधित करते हुये दिखाई दे रहे हैं। (बायें से दायें) श्री ए.के. मित्तल, संयुक्त निदेशक अल्प बचत हरियाणा, श्री एम.के. मलहोत्रा, क्षेत्रीय निदेशक एन.एस.आई. चंडीगढ़ केन्द्र, श्री अनिल भट्टाचार्य, विभागाध्यक्ष, एन.एस.आई. और श्री डी.सी. राणा, एस.डी.एम. डलहौजी भी दिखाई दे रहे है।

# राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय बचत संस्थान ने 3 से 4 अगस्त 2006 के दौरान डलहौजी में पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों के लिये दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों के विपणन क्षमता को बढ़ाना और उनके ज्ञान को विकसित करना था जिससे कि वे अपने राज्य में अल्प बचत जमा का संवर्धन कर सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय बचत संस्थान के विभागाध्यक्ष श्री अनिल भट्टाचार्य ने किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सी.एस. तलवार, आई.ए.एस. निदेशक अल्प बचत पंजाब सरकार ने किया। इस अवसर पर श्री ए.के. मित्तल, संयुक्त निदेशक हरियाणा सरकार और श्री डी.सी. राणा, उप विभागीय दण्डाधिकारी, डलहौजी भी उपस्थित थे। अपने उद्घाटन संबोधन में राष्ट्रीय बचत संस्थान के विभागाध्यक्ष ने कहा कि संगठन के साथ ही साथ व्यक्तिगत विकास के लिए मानव संसाधन का प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में पंजाब सरकार के अल्प बचत निदेशक ने राज्य सरकार के अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने पर एन.एस.आई. के प्रयासों की सराहना कि और आशा व्यक्त कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षणार्थियों को अपने कार्य को सुचारू रूप से एवं अधिक प्रभावशाली तथा सक्षमता से कार्य निष्पादित करने में सहायक होगा। श्री एम.के. मलहोत्रा, क्षेत्रीय निदेशक एन.एस.आय. चंडीगढ़ केन्द्र तथा श्री डी.के. घाटे उपनिदेशक (मुख्यालय) प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य स्त्रोत थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विषय जैसे सम्प्रेषण, बचत प्रोत्साहन के लिये विपणन नीति, प्रभावी बैठक प्रबंधन, उत्पाद प्रोत्साहन और प्रचार, विस्तारित ऐजंसिया, निवेशकों की शिकायत निवारण हेतु वेबसाइट का प्रयोग इत्यादि विषय शामिल थे।

राष्ट्रीय बचत संस्थान
NATIONAL SAVINGS INSTITUTE

राष्ट्रीय बचत संस्थान, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, सेमिनरी हिल्स, नागपुर National Savings Institute, CGO Complex, Seminary Hills, Nagpur
http://nsiindia.gov.in.

श्री अनिल भट्टाचार्य, विभागाध्यक्ष राष्ट्रीय बचत संस्थान नागपुर 15 जुलाई 2006 को वेतन बचत दिवस के अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुये दिखाई दे रहे है। (बायें से दायें) श्री पद्मसिंह, क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय बचत संस्थान नागपुर केन्द्र, श्री हरीशचंद्र राय, आर्य, महाप्रबंधक और श्री बी.एम. श्रीखंडे, वरिष्ठ प्रबंधक बैद्यनाथ आयुर्वेदिक भवन नागपुर भी दिखाई दे रहे है।

## राष्ट्रीय बचत संस्थान ने पूरे देश में वेतन बचत दिवस मनाया।

पिछले पाँच दशकों से एन.एस.ओ. (अब एन.एस.आई.) का यह प्रयास रहा है कि समाज के विभिन्न आय वर्गो को उनकी जरूरत के मुताबिक बचत योजना उपलब्ध कराई जाये। वेतन बचत समूह योजना कार्यरत वेतनभोगी वर्ग के लिए है जो नियमित रूप से प्रतिमाह बचत करते हैं। बचत की इस पद्धति के अन्तर्गत, कर्मचारी अपने नियोक्ता को यह लिखित अधिकार देता है कि अपने नाम डाकघर आवर्ती जमा खाता, लोक भविष्य निधि खाता एवं राष्ट्रीय बचत पत्र, (आठवाँ निर्गम) खोलने/ खरीदने के लिए उनके वेतन से एक नियत राशि प्रति माह काटकर नियुक्त डाकघर में उनके खाते में जमा कर दी जाये। इस पद्धति से अपने आप नियमित बचत हो जाती है, कर्मचारी को डाकघर जाकर राशि जमा नहीं करना पड़ता है। वेतन बचत योजना को बढ़ावा देने एवं व्यक्तिगत बचत को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय बचत संस्थान प्रति वर्ष 15 जुलाई को वेतन बचत दिवस मनाता है। इस वर्ष भी 15 जुलाई 2006 को पूरे देश में क्षेत्रीय निदेशकों के मुख्यालय पर वेतन बचत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय बचत संस्थान ने वेतन बचत योजना के तहत अच्छे काम करनेवाले कार्यालयों/ईकाइयों/संस्थानों को सम्मानित किया। वेतन बचत दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए डी.ए.वी.पी. नई दिल्ली ने देश के प्रमुख समाचार पत्रों में एक विशेष विज्ञापन प्रकाशित किया।

श्री पी.डी. कलिता ए.सी.एस. संयुक्त सचिव वित्त और निदेशक अल्प बचत असम सरकार गुवाहाटी में 15 जुलाई 2006 को राष्ट्रीय बचत संस्थान गुवाहाटी द्वारा आयोजित वेतन बचत दिवस समारोह के अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुये दिखाई दे रहे है। साथ ही (बायें से दायें) श्री एन.सी. शर्मा, अतिरिक्त आयकर आयुक्त, श्री बी. कल्याण चक्रवर्ती आई.आर.एस., आयकर आयुक्त और श्री आर.एन. मुखर्जी, उप निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान गुवाहाटी केन्द्र भी दिखाई दे रहे है।

श्री राजेन्द्र भनावत, आई.ए.एस., विभागीय आयुक्त जयपुर वेतन बचत दिवस के अवसर पर दिनांक 25 जुलाई 2006 को जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में श्री हबीब मोहम्मद खत्री, चेयरमन म्युनिसिपल कौंसिल सिकर राजस्थान को वेतन बचत योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतू स्मृति चिन्ह प्रदान करते दिखाई दे रहे है। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय बचत संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र जयपुर द्वारा किया गया। साथ ही (बायें से दायें) श्री जे.पी. फोगत, क्षेत्रीय निदेशक केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड जयपुर भी दिखाई दे रहे है।

## भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 के बारे में टी.डी.एस. पर स्पष्टीकरण जारी किया।

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 के अंतर्गत जमा पर ब्याज भुगतान के स्त्रोत पर कटौती करने से संबंधित मामले में अपने पत्र सं. एफ–2/8/2005 - एन.एस.-II दिनांक 23.6.2006 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया।

जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि –

(i) कोई भी निवासी भारतीय जिसकी उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक हो और जिसकी अनुमानित आय पर कर वित्तीय वर्ष के लिये शून्य हो वह बैंक/डाकघर में फार्म नं. 15-एच में घोषणा कर सकता है।

(ii) 65 वर्ष से कम उम्र के जमाकर्ता फार्म 15-जी में घोषणा कर सकता है यदि –

(अ) कुल अनुमानित आय पर कर वित्तीय वर्ष के लिये शून्य है और

(ब) वित्तीय वर्ष के दौरान सकल ब्याज की राशि जो जमा या अदा की गई हो अथवा जमा या अदा की जानेवाली हो वह अधिकतम राशि जो कि कर योग्य न हो (पुरुष आयकर दाता के लिये रु. 1,00,000 और महिला आयकर दाता के लिये रु. 1,35,000)

नोट : उपरोक्त दोनों शर्तों को पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना – 2004 के अंतर्गत जमा से संबंधित सूचना जमाकर्ता द्वारा फार्म नं. 15-जी के अनुसूचित–III में दी जाए।

(iii) उपयुक्त मामलों में धारा 197 (1) के अंतर्गत स्त्रोत पर कोई कटौती नहीं की गई है या निम्न कटौती के लिये प्रमाण पत्र जमाकर्ता के द्वारा अपने कर निर्धारण अधिकारी से प्राप्त किया जाये।

(iv) फार्म नं. 15-एच या फार्म नं. 15-जी में घोषणा बैंक/डाकघर में प्रस्तुत करने पर बैंक/डाकघरों द्वारा कर की कटौती नहीं की जायेगी। उन मामलों में जहाँ धारा 197 (1) के अंतर्गत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया हो। बैंकों/डाकघरों द्वारा स्त्रोत पर कर कटौती नहीं करेंगे या जैसा की मामला हो, प्रमाण पत्र विनिर्दिष्ट न्यूनतम दर से कटौती करेंगे।

(v) वित्तीय वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिये उन कर के मामलों में जहाँ बैंकों/डाकघरों द्वारा कटौती नहीं की गई थी, यह स्पष्ट किया जाता है कि कर का वह भाग जो बैंकों/डाकघरों द्वारा नहीं काटा गया, और जिसमें जमाकर्ता द्वारा अग्रिम कर के रूप में सीधे या स्वयं निर्धारित कर, या अन्य मामलों में भुगतान किया गया हो और जिसके लिये जमाकर्ता द्वारा आवश्यक साक्ष्य बैंकों/डाकघरों में प्रस्तुत किये गये हो, ऐसे मामलों में आयकर विभाग द्वारा बैंको/डाकघरों से ऐसे कर की वसूली नहीं की जाएगी। उसी प्रकार विस्तारित राँशि जिसके लिये फार्म 15-एच और 15-जी में घोषणा हो साथ ही साथ धारा 197 (1) के अन्तर्गत का प्रमाण पत्र बैंकों/डाकघरों के पास उपलब्ध उन मामलों में बैंकों/डाकघरों से आयकर विभाग वसूली नहीं कर सकेगा।

# अप्रैल से मई 2006 तक अल्प बचत संग्रहण

*(करोड रुपये)*

| अनु. क्र. | क्षेत्र / राज्य | सकल | शुद्ध | सकल | शुद्ध |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मई 2005 तक | | मई 2006 तक | |
| | आंध्र प्रदेश | 1544.36 | 677.76 | 1443.34 | 502.26 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 6.52 | 3.47 | 6.45 | 3.45 |
| 3. | असम | 328.04 | 121.04 | 170.15 | -128.12 |
| 4. | अंदमान निकोबार द्वीप | 4.72 | 2.22 | 4.68 | 2.26 |
| 5. | आर्मी पोस्ट ऑफीसेस | 68.09 | 12.13 | 36.19 | -5.01 |
| 6. | बिहार | 637.82 | 236.86 | 587.32 | 188.84 |
| 7. | झारखंड | 323.21 | 104.46 | 265.29 | 111.87 |
| 8. | चंडीगढ | 73.14 | 11.41 | 62.91 | -11.32 |
| 9. | दमण एवं दीव | 6.16 | 2.21 | 5.62 | 2.04 |
| 10. | दिल्ली | 1258.84 | 549.24 | 1054.91 | 270.60 |
| 11. | गोवा | 87.42 | 51.52 | 70.26 | 35.30 |
| 12. | गुजरात | 2602.78 | 1146.03 | 2161.01 | 719.14 |
| 13. | हरियाणा | 781.69 | 241.88 | 716.78 | 144.65 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 368.20 | 126.27 | 340.77 | 107.05 |
| 15. | जम्मू व कश्मीर | 242.82 | 87.55 | 224.68 | 70.98 |
| 16. | कर्नाटक | 1197.52 | 531.51 | 1101.72 | 276.02 |
| 17. | केरल | 963.04 | 433.36 | 777.23 | 250.44 |
| 18. | लक्षद्वीप | 0.16 | 0.05 | 0.19 | 0.09 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 723.16 | 227.71 | 674.77 | 214.44 |
| 20. | छत्तीसगढ | 158.35 | 64.36 | 219.77 | 72.75 |
| 21. | महाराष्ट्र | 3293.73 | 1640.27 | 2480.62 | 786.85 |
| 22. | मणिपुर | 15.06 | 3.02 | 5.77 | -0.04 |
| 23. | मेघालय | 27.44 | 8.48 | 28.58 | 2.86 |
| 24. | मिझोरम | 19.39 | 6.89 | 7.14 | 1.59 |
| 25. | नागालैंड | 3.41 | 1.22 | 3.28 | 1.05 |
| 26. | उडीसा | 443.62 | 172.99 | 403.54 | 145.71 |
| 27. | पांडीचेरी | 17.59 | 5.55 | 19.67 | 3.42 |
| 28. | पंजाब | 1488.63 | 437.49 | 1340.45 | 320.21 |
| 29. | राजस्थान | 1160.21 | 339.05 | 1002.16 | 174.62 |
| 30. | सिक्कीम | 10.97 | 2.83 | 4.25 | 0.98 |
| 31. | तमिलनाडू | 1758.09 | 735.92 | 1563.29 | 487.36 |
| 32. | त्रिपूरा | 73.10 | 30.31 | 55.67 | 19.83 |
| 33. | उत्तर प्रदेश | 2443.37 | 797.70 | 2141.41 | 644.31 |
| 34. | उत्तरांचल | 306.83 | 107.86 | 310.78 | 94.07 |
| 35. | पश्चिम बंगाल | 3400.83 | 1556.77 | 2443.45 | 1049.54 |
| | कुल | **25838.29** | **10477.41** | **21734.10** | **6560.08** |

टिप्पणी डाक विभाग नई दिल्ली से प्राप्त प्रारंभिक आंकडे सामन्जस्य अधीन है। इन आंकडों में पी.पी.एफ.(बैंक) संग्रहण शामिल नहीं हैं।

SHIVRAJ (D.G.P.S.) NAGPUR